

न्यायालय— एम.एस.तोमर, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश (सू0नि0अधि0) विदिशा म0प्र0

दिनांक 16.04.2020

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्रमांक क्यू-8 दि. 14.04.2020 के पालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा के आदेश क्रमांक क्यू-10/विविध /2020 विदिशा दिनांक 14.04.2020 के अनुसार दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक संपूर्ण भारत में लॉकडाउन के निर्देश के अनुक्रम में उपरोक्त अवधि अकार्य दिवस होने के कारण समस्त न्यायालय बंद रहेंगे तथा इस न्यायालय में नीचे दर्शाये अनुसार नियत दिनाकों के समस्त प्रकरण उनके सम्मुख अंकित दिनाकों को सुनवाई हेतु यथास्थिति में ग्राह्य किये जावेंगे।

तदनुसार पक्षकारण को सूचित किये जाने हेतु आदेश की एक प्रति जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे तथा एक प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	15.04.2020	27.05.2020
2	16.04.2020	28.05.2020
3	17.04.2020	29.04.2020
4	20.04.2020	30.05.2020
5	21.04.2020	01.06.2020
6	22.04.2020	02.06.2020
7	23.04.2020	03.06.2020
8	24.04.2020	04.06.2020
9	27.04.2020	05.06.2020
10	28.04.2020	06.06.2020
11	29.04.2020	08.06.2020
12	30.04.2020	कोई केस नहीं है।
13	01.05.2020	कोई केस नहीं है।
14	02.05.2020	कोई केस नहीं है।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
विदिशा (नाम)

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष
न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विदिशा (म0प्र0)

नियत दिनांक	आगामी दिनांक
15 / 04 / 2020	04 / 05 / 2020
16 / 04 / 2020	05 / 05 / 2020
17 / 04 / 2020	06 / 05 / 2020
20 / 04 / 2020	08 / 05 / 2020
21 / 04 / 2020	09 / 05 / 2020
22 / 04 / 2020	11 / 05 / 2020
23 / 04 / 2020	12 / 05 / 2020
24 / 04 / 2020	13 / 05 / 2020
27 / 04 / 2020	14 / 05 / 2020
28 / 04 / 2020	15 / 05 / 2020
29 / 04 / 2020	16 / 05 / 2020
30 / 04 / 2020	19 / 05 / 2020
01 / 05 / 2020	20 / 05 / 2020

2. 05 / 2020

21 / 05 / 2020

नोट— दिनांक 02.05.2020 का सार्वजनिक अवकाश प्रकरण नियत नहीं किए गए।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश (POCSO)
विदिशा (म0प्र0)

Signature
Deputy
JAS
vidisha

न्यायः-बाबी जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, विदिशा

क्रमांक ११२

विदिशा, दिनांक-15.04.2020

माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर के पत्र क्र. क्यू-6 दिनांक 14.04.2020 के पालन में महामारी नोवेल कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण जिला विदिशा में दिनांक 15.04.2020 से 03.05.2020 तक सार्वजनिक अवकाश सहित संपूर्ण भारत में लॉक डाउन के निर्देश के अनुक्रम उपरोक्त संपूर्ण अवधि अकार्य दिवस होने के कारण जिला स्थापना विदिशा एवं तहसील न्यायालय के समस्त न्यायालय बंद रहेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावे। शेष कार्यवाहियां जिनमें अतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार, इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गये नियत दिनांको में नियत समस्त प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवायी हेतु यथा स्थिति सुनवायी हेतु यथा स्थिति सुनवायी हेतु ग्राह्य किये जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किये जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	15.04.2020	18.05.2020
02	16.04.2020	19.05.2020
03	17.04.2020	20.05.2020
04	18.04.2020	21.05.2020
05	20.04.2020	22.05.2020
06	21.04.2020	26.05.2020
07	22.04.2020	27.05.2020
08	23.04.2020	28.05.2020
09	24.04.2020	29.05.2020
10	25.04.2020	30.05.2020
11	27.04.2020	02.06.2020
12	28.04.2020	03.06.2020
13	29.04.2020	04.06.2020
14	30.04.2020	05.06.2020
15	01.05.2020	08.06.2020
16	02.05.2020	09.06.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

बाबी जुनेजा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
Barbie Juneja
Judicial Magistrate First Class
Vidisha (M.P.)

सिविल एवं
आपराधिक
प्रकरण

न्यायालय:- सुश्री सोनल गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय
श्रेणी, विदिशा म0प्र0

जा0क0:-...../20

विदिशा, दिनांक 15.04.2020

कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में मान्नीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श/ज्ञापन जबलपुर दिनांकित 14.04.2020 तथा मान्नीय जिला न्यायाधीश का आदेश क्रमांक क्यू/विविध/2020 दिनांक 14.04.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। मान्नीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जावें, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
15.04.2020	18.05.2020
16.04.2020	19.05.2020
17.04.2020	21.05.2020
18.04.2020	22.05.2020
20.04.2020	23.05.2020
21.04.2020	26.05.2020
22.04.2020	27.05.2020
23.04.2020	28.05.2020
24.04.2020	29.05.2020
25.04.2020	
27.04.2020	
28.04.2020	

 सीडर/म-3

नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
29.04.2020	30.05.2020
30.04.2020	
01.05.2020	03.06.2020
02.05.2020	

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

नोट:- इस न्यायालय में लंबित सभी जेल प्रकरण (6 प्रकरण) दिनांक 13.05.2020 को नियत है।

सही / -

(सोनल गुप्ता)

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी,
विदिशा म0प्र0


15/05/20 12:00 PM

न्यायालय:-सुश्री सोनल गुप्ता प्रथम व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-1 के अतिरिक्त चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,
विदिशा/न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, विदिशा म0प्र0

जा0क0:-...../20

विदिशा, दिनांक 15.04.2020

कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में मान्नीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श/ज्ञापन जबलपुर दिनांकित 14.04.2020 तथा मान्नीय जिला न्यायाधीश का आदेश क्रमांक क्यू/विविध/2020 दिनांक 14.04.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। मान्नीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जाएं, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल नियत प्रकरणों की तिथियां

नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
15.04.2020	18.05.2020
16.04.2020	19.05.2020
17.04.2020	21.05.2020
18.04.2020	22.05.2020
20.04.2020	23.05.2020
21.04.2020	26.05.2020
22.04.2020	27.05.2020
23.04.2020	28.05.2020
24.04.2020	29.05.2020
25.04.2020	
27.04.2020	
28.04.2020	


25/2/2020

नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
29.04.2020	30.05.2020
30.04.2020	
01.05.2020	03.06.2020
02.05.2020	

नोट:- इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

सही / -

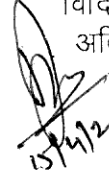
(सोनल गुप्ता)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

विदिशा के न्यायालय के चतुर्थ

अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश

वर्ग-2 विदिशा (म.प्र.)


15/04/2020

न्यायालय: वरुण चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा के
न्यायालय के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा (म.प्र.)
 क्रमांक...../2020 विदिशा दिनांक 15.04.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/11:15-7/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्र० 345/ आरजी/2020 दिनांक 17.03.2020 एवं सरक्यूलर क्रमांक 05 दिनांक 25.03.2020 व सरक्यूलर क्रमांक 06 दिनांक 14.04.2020 तथा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालयीन ज्ञापन क्र० क्यू-4 दिनांक 25.03.2020 व क्रमांक क्यू-17 विविध/2020 विदिशा दिनांक 14.04.2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहियाँ जिनमें अन्तिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अर्कित नियत दिनांक को यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारण को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	15.04.2020	04.05.2020
02	16.04.2020	11.05.2020
03	17.04.2020	12.05.2020
04	18.04.2020	13.05.2020
05	20.04.2020	14.05.2020
06	21.04.2020	15.05.2020
07	22.04.2020	18.05.2020
08	23.04.2020	19.05.2020
09	24.04.2020	20.05.2020
10	25.04.2020	21.05.2020
11	27.04.2020	22.05.2020
12	28.04.2020	23.05.2020
13	29.04.2020	26.05.2020
14	30.04.2020	27.05.2020
15	01.05.2020	29.05.2020
16	02.05.2020	30.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

वरुण चौहान,
 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- दो विदिशा
 के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश
 वर्ग- दो विदिशा (म०प्र०)

**न्यायालय-कृष्णा अग्रवाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा
के न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो विदिशा म0प्र0**

जावक क्रमांक :-/20

विदिशा, दिनांक/...../.....

कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में मान्नीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श/ज्ञापन जबलपुर दिनांकित 14.04.2020 तथा मान्नीय जिला न्यायाधीश का आदेश क्रमांक क्यू/विविध/2020 दिनांक 14.04.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। मान्नीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जाएं, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल नियत प्रकरणों की तिथियां

क्र0	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	15.04.2020	04.05.2020
02	16.04.2020	05.05.2020
03	17.04.2020	06.05.2020
04	18.04.2020	08.05.2020
05	20.04.2020	09.05.2020
06	21.04.2020	11.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।


(कृष्णा अग्रवाल)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

न्यायालय:- कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा
(म0प्र0)

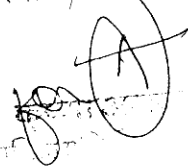
जावक क्रमांक :- 77 / 20 विदिशा, दिनांक 15-4-20
कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श/ज्ञापन जबलपुर दिनांकित 14.04.2020 तथा माननीय जिला न्यायाधीश का आदेश क्रमांक क्यू/विविध/2020 दिनांक 14.04.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जावें, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्र0	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	15.04.2020	09.06.2020
02	16.04.2020	10.06.2020
03	17.04.2020	11.06.2020
04	20.04.2020	12.06.2020
05	21.04.2020	13.06.2020
06	22.04.2020	15.06.2020
07	23.04.2020	16.06.2020
08	24.04.2020	17.06.2020
09	25.04.2020	18.06.2020
10	27.04.2020	19.06.2020
11	28.04.2020	22.06.2020
12	29.04.2020	23.06.2020
13	30.04.2020	24.06.2020
14	01.05.2020	25.06.2020
15	02.05.2020	26.06.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।





**न्यायालय –प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, विदिशा के न्यायालय के पंचम
अतिरिक्त न्यायाधीश, विदिशा (म0प्र0)**

सूचना पत्र

पक्षकारों एवं अधिवक्तागण हेतु

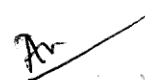
कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र क्र. वयू-6 दिनांक 14.04.2020 के पालन में जारी किये गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं सिविल मामलों में अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित स्थगन मामलों में अति आवश्यक कार्य ही किये जायेंगे। शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क सम्मिलित हैं, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाये गए दिनांकों के प्रकरण उनके सम्मुख अफिरा आगामी नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति ग्राह्य किये जायेंगे।

आगामी नियत प्रकरण

क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
	दिनांक 15.04.2020	04.05.2020
	दिनांक 16.04.2020	05.05.2020
	दिनांक 17.04.2020	06.05.2020
	दिनांक 18.04.2020	08.05.2020
	दिनांक 20.04.2020	09.05.2020
	दिनांक 21.04.2020	11.05.2020
	दिनांक 22.04.2020	12.05.2020
	23,24,25,27 अप्रैल	13.05.2020
	28,29,30 अप्रैल एवं 1 व 2 मई	14.05.2020

सिविल प्रकरण

क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
	दिनांक 15.04.2020	11.05.2020
	दिनांक 16.04.2020	12.05.2020
	दिनांक 17.04.2020	13.05.2020
	दिनांक 18.04.2020	14.05.2020
	दिनांक 20.04.2020	15.05.2020
	दिनांक 21.04.2020	15.06.2020
	दिनांक 22.04.2020	16.06.2020
	दिनांक 23.04.2020	17.06.2020
	दिनांक 24.04.2020	18.06.2020
	दिनांक 25.04.2020	19.06.2020
	दिनांक 27.04.2020	22.06.2020
	दिनांक 28,29 एवं 30.04.2020	23.06.2020
	दिनांक 01 एवं 02 मई	24.06.2020


 (आत्माराम दाक)
 प्रधान अपर रात्र न्यायाधीश, त्रिदिशा
 के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त
 न्यायाधीश त्रिदिशा (म.प्र.)

न्यायालय: श्यामाचरण उपाध्याय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा

जावक क्रमांक.....९/2020

विदिशा, दिनांक15/4/2020

- नोटिस -

---0---

अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 14.04.2020 को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन घोषित करने के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र क्रमांक क्यू-6, जबलपुर, दिनांक 14.04.2020 के अनुक्रम में जिला न्यायिक स्थापना, विदिशा में दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक अकार्य दिवस घोषित किया गया है। तदनुसार इस न्यायालय के दिनांक 15.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों को यथास्थिति सुनवाई हेतु संलग्न सारणी-ए व बी अनुसार आगामी तिथि नियत की गई है।

वास्ते-जिला न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

पृष्ठांकन क्रमांक

विदिशा, दिनांक

प्रतिलिपि :-

01. अध्यक्ष/सचिव, जिला अभिभाषक संघ, विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

वास्ते-जिला न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

न्यायालय: श्यामाचरण उपाध्याय, जिला न्यायाधीश विदिशा (म0प्र0)

सारणी -ए

सिविल प्रकरण

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	15.04.2020	04.05.2020
2	16.04.2020	05.05.2020
3	17.04.2020	06.05.2020
4	18.04.2020	—
5	20.04.2020	08.05.2020
6	21.04.2020	09.05.2020
7	22.04.2020	11.05.2020
8	23.04.2020	12.05.2020
9	24.04.2020	13.05.2020
10	25.04.2020	14.05.2020
11	27.04.2020	15.05.2020
12	28.04.2020	—
13	29.04.2020	—
14	30.04.2020	—
15	01.05.2020	—
16	02.05.2020	—

नोट— दिनांक 18.04.2020 एवं दिनांक 28.04.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक कोई प्रकरण नियत नहीं।

वास्ते — जिला न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0

सारणी -बी

आपराधिक प्रकरण

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	15.04.2020	13.05.2020
2	16.04.2020	14.05.2020
3	17.04.2020	15.05.2020
4	18.04.2020	—
5	20.04.2020	18.05.2020
6	21.04.2020	19.05.2020
7	22.04.2020	20.05.2020
8	23.04.2020	21.05.2020
9	24.04.2020	22.05.2020
10	25.04.2020	—
11	27.04.2020	26.05.2020
12	28.04.2020	27.05.2020
13	29.04.2020	28.05.2020
14	30.04.2020	29.05.2020
15	01.05.2020	30.05.2020
16	02.05.2020	02.06.2020



वास्ते-सत्र न्यायाधीश
विदिशा म०प्र०
Sessions Judge
VIDISHA - (M.P.)

न्यायालय:-सुश्री आरती गौतम प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के
अतिरिक्त सप्तमव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा/न्यायिक मजिस्ट्रेट
द्वितीय श्रेणी, विदिशा म0प्र0

जा0क0:-...../20

विदिशा, दिनांक 15.04.2020

कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श/ज्ञापन जबलपुर दिनांकित 14.04.2020 तथा माननीय जिला न्यायाधीश का आदेश क्रमांक क्यू/विविध/2020 दिनांक 14.04.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जाएं, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल/आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
15.04.2020	11.05.2020
16.04.2020	12.05.2020
17.04.2020	13.05.2020
18.04.2020	14.05.2020
20.04.2020	15.05.2020
21.04.2020	18.05.2020
22.04.2020	19.05.2020
23.04.2020	20.05.2020
24.04.2020	21.05.2020
25.04.2020	22.05.2020
27.04.2020	23.05.2020
28.04.2020	26.05.2020
29.04.2020	27.05.2020
30.04.2020	28.05.2020
01.05.2020	29.05.2020
02.05.2020	30.05.2020

नोट:- इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

आरती गौतम
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की
विदिशा के न्यायालय में अतिरिक्त
सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की
विदिशा (म.प्र.)